अनुसूची 14–फारम सं०–562।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक–1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – .....ता०.....से.....तक

जिला– लखीसराय, संख्या :– 01/2013–14 सन् 2013

केश का प्रकार :– विविध वाद राज्य बनाम अमर कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30.10.2015	न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय (जिला विधि शाखा) आदेश प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 12454/2012 अमर कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–18.09.2015 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक के द्वारा दिनांक–03.12.2012 को आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदक को किसान सलाहकार के पद नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि मैं बी0सी0 अनेक्सचर–1 से आता हूँ तथा मैं आई0एस0सी0, 56.66 प्रतिशत अंकों से पास हूँ तथा ग्राम पंचायत खावा राजपुर, प्रखंड सूर्यगढ़ा, जिला लखीसराय के ग्राम खावाचन्द्र टोला का स्थायी निवासी हूँ। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि मैं सारी अर्हताएं पूर्ण करता था तथा पैनल में मेरा Sl.No. 61 में था(रजिस्टर–229) तथा मेरे अंक भी काफी अच्छे थे परन्तु मेरी नियुक्ति नहीं की गई परन्तु हमसे कम अंक वालों की नियुक्ति कर दी गई जो कि गलत था। मैंने सभी जगह आवेदन दिये। मुख्यमंत्री, बिहार के समक्ष आवेदन देने पर मुझे कृषि निदेशक, बिहार, पटना के यहां से सूचना दी गई कि किसान सलाहकार चयन के दौरान मैं कृषि कार्य में संलग्न नहीं था। जिस कारण किसान सलाहकार के पद पर मेरा नियोजन नहीं किया गया। जाँच के क्रम में पूछ–ताछ के दौरान मेरे द्वारा स्वीकार किया गया है कि श्री पंकज कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा किसान सलाहकार में चयन हेतु राशि की कोई मांग नहीं की गई। जबकि मैंने ऐसा भी बात स्वीकार नहीं किया था। मैं तथा मेरा सारा परिवार वर्षों से कृषि कार्य में लिप्त है। परन्तु जानबुझ कर मुझ कमजोर और गरीब को हक से वंचित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की जाँच–पड़ताल कराए जाने से स्पष्ट होगा की मैं न केवल पहले से खेती के कार्य में लगा हुआ हूँ बल्कि चयन के दौरान भी उसी से अपना जीविका चला रहा था तथा जाँच के क्रम में विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा बाद में आए पदाधिकारी जानबूझ कर केवल अपने लोगों को मदद पहुँचाने के दृष्टिकोण से मुझे किसान नहीं बना रहे हैं। क्या मेरी पंचायत के मुखिया तथा प्रमुख असत्य बोल रहे हैं। क्या कृषि विभाग के पदाधिकारी ही राजा हरिशचन्द्र को अनुसरण करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। इस बात की पुष्टि स्थल पर जाकर गाँव के प्रबुद्ध तथा अन्य मानिन्दों तथा मेरे गरीब ग्रामिणों से किया जा	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सकता है।

आवेदक अमर कुमार के द्वारा प्रस्तुत की गई लगान रसीद की प्रति संलग्न करते हुए अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा से जाँच कराकर रसीद में अंकित जमीन के भू–स्वामी संदर्भ में प्रतिवेदन की मांग करते हुए भू–स्वामी का पूर्ण विवरणी एवं वंशावली की मांग की गई। तद्नुसार अंचलाधिकारी, सूर्यगढ़ा द्वारा अपने पत्रांक–658, दिनांक–24.07.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक अमर कुमार के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद में से मात्र एक लगान रसीद सूर्यगढ़ा अंचल से संबंधित है। शेष सदर अंचल, मुंगेर से संबंधित है। एकमात्र भू–लगान रसीद जिसका नं0–546985 है, की जाँच कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पिता का नाम से मात्र 10.1/4 डी0 भूमि है। वंशवृक्ष के अनुसार प्रार्थी 1/5 का हकदार है।

पुनः अंचल अधिकारी, मुंगेर सदर से आवेदक अमर कुमार के द्वारा प्रस्तुत की गई लगान रसीद की प्रति संलग्न करते हुए रसीद में अंकित भू–स्वामी संदर्भ में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्रांक–873/स्था0, दिनांक–26.08.13 द्वारा किया गया। तद्नुसार अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर ने अपने पत्रांक–1316, दिनांक–23.10.13 द्वारा प्रतिवेदित किया कि आवेदक अमर कुमार के लगान रसीद संख्या–771807, 772062, 772063, 772064 एवं 772065 का जाँच कराई गई। कुतलुपर चांय टोला, कुतलुपुर खास तौजी 425 थाना नं0–96, जमाबन्दी 739, 1341, 891, 1371 तथा 950 में कुल रकवा 4.00.50 डी0 है। उक्त जमीन का लगान रसीद जो संलग्न है वह सही है। इनके उक्त जमीन में अराजी 0–66.66 डी0 हिस्सा होता है।

इस कार्यालय ज्ञापांक–970/विधि, दिनांक–26.10.15 द्वारा अंतिम रूप से नोटिस कर आवेदक एवं जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। जिसमें उभय पक्षों ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक के स्थान पर जिनका चयन किया गया है, उन्हें आवेदक से 15 प्रतिशत कम अंक प्राप्त था। इस प्रकार उक्त बहाली में Merit की उपेक्षा की गयी जो विधि सम्मत नहीं है। जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किसान सलाहकार के नियोजन से संबंधित विभागीय पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें किसान सलाहकार के चयन से संबंधित उल्लेख किया गया कि ''किसान सलाहकार के संबंध में यह सत्यापन कर लिया जाय कि आवेदक वास्तविक रूप में किसान हैं, यह सत्यापन नियोजन से पूर्व या बाद में भी किया जा सकता है।''

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के कृषक न होने के संबंध में जो जाँच प्रति संलग्न है उसमें अंकित हस्ताक्षर एवं मंतव्य की लिखावट एवं स्याही में अन्तर है, जिससे उक्त प्रतिवेदन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय किसान की परिभाषा पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाये, जबकि पशुपालक भी कृषक की श्रेणी में ही आते हैं। चूँकि आवेदक के पिता कृषक है, खेती भी करते हैं और कोई व्यवसाय नहीं है, आवेदक भी बेरोजगार है, इसलिए आवेदक को भी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

कृषक माना जाना चाहिए। आवेदक की पुश्तैनी जमीन लखीसराय जिला स्थित के सूर्यगढ़ा अंचल के अतिरिक्त मुंगेर जिला में भी स्थित है, जिसकी जाँच संबंधित पदाधिकारी के द्वारा नहीं करायी गयी। साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि आवेदक को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया कि वे अपने आप को कृषक साबित कर सके न ही, कार्यालय अभिलेख से उसे इस आधार पर कोई सूचना निर्गत किया गया, जिससे कि आवेदक अपना पक्ष रख पाता। अतः यह समझने के लिए यह पर्याप्त आधार है कि आवेदक के साथ न्याय नहीं हुआ था।

अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय को निदेश दिया जाता है कि आवेदक के कृषक न होने के आधार को छोड़कर अन्य मापदंडो के आधार पर (आवेदक की श्रेणी एवं Merit के आधार पर) नियमानुसार विधि सम्मत चयन प्रक्रिया अपनायी जाय। इस मंतव्य के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

30/10/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

30/10/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

ज्ञापांक :– 974 /विधि, लखीसराय, दिनांक– 30.10.15

प्रतिलिपि :– जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अमर कुमार, पे0– मोहन साह, सा0–खावा चन्द्रटोला, पो0–किरणपुर थाना–मेदनीचौकी, जिला– लखीसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/10/15

समाहर्त्ता,
लखीसराय।